

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़ जिला सीकर
 (पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) / कैम्प / 2022 / जौली अप / 83

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सोरोलिया व भूअनि शुद्ध की रिपोर्ट तथा तहसीलदार लोसल / नायब तहसीलदार लोसल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम सोरोलिया प.0ह0. सोरोलिया तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्यत् 2076-73 में खाता संख्या 84 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम / प.0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>सोरोलिया</u>	<u>84</u>	<u>मन्सू पत्नी ईश्वर राम</u>	<u>मन्सू पत्नी ईश्वर लाल</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजशं कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़ जिला सीकर
 दिनांक - 30.06.2022

क्रमांक / कैम्प / 2022 / जौली अप / 83

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दातारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़ जिला सीकर